संख्या-2587/सत्तर-6-2006-2(123)2006

प्रेषक,

जगन्नाथ पाल,
संयुक्त सचिव,
उत्तरप्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।

उच्चशिक्षा अनुभाग-6 दिनांक: 12 जुलाई 2006

विषय:- बार काउन्सिल आफ इण्डिया के क्षेत्रान्तर्गत एल0एल0बी0 पाठ्यक्रम में राज्य सरकार द्वारा अनापत्ति प्रदान किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय से सम्बन्धित व आपके पत्र संख्या- 1922/सम्बद्धता/2006, ______ दिनांक: 24-6-2006 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य सरकार ने सम्यक विचारोपरान्त प्रस्तावित पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवाँ (चुनार) मीरजापुर को एल0एल0बी0 त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र xxxxxxx शिक्षण कार्य में प्रारम्भ करने हेतु निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अनापत्ति प्रदान कर दी है:-

(1)- उक्त पाठ्यक्रम में विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्राप्त करने के पश्चात एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया के अनुमोदनोपरान्त ही छात्रों के प्रवेश लिये जायेगें।

(2)- संस्थान सम्बद्धता का प्रस्ताव प्रस्तुत करने के पूर्व भवन निर्माण की कार्यवाही एवं आवश्यक अवस्थापना सुविधाओं को पूर्ण कर लेगी।

(3)- संस्थान के नाम भूमि राजस्व अभिलेखों में दर्ज होने, निजी भवन में उक्त पाठ्यक्रम प्रारम्भ करने एवं अवस्थापना सामग्री तथा कार्यशील पूँजी की उपलब्धता का पुन: परीक्षण करने के उपरान्त ही शासनादेश संख्या-3075/सत्तर-2-2002-2(166)2002, दिनांक: 27 सितम्बर, 2002 एवं शासनादेश संख्या-193/सत्तर-2-2003-2(166)2002, दिनांक: 13 जनवरी, 2003 में विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसार ही सम्बद्धता प्रदान की जायेगी।

(4)- संस्थान की किसी लायबिलिटी से राज्य सरकार का कोई सरोकार नहीं होगा।

(5)- संस्थान विश्वविद्यालय/राज्य सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं बार काउन्सिल आफ इण्डिया द्वारा समय-समय पर जारी नीति विषयक आदेशों एवं निर्देशों का अनुपालन करेगी।

(6)- मानकानुसार आवश्यक भूमि महाविद्यालय/संस्थान के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज कराकर खतौनी की प्रति सक्षम राजस्व अधिकारी से प्रमाणित कराकर

...2/-

अथवा भूमि किसी विकास प्राधिकरण से क्रय किये जाने की स्थिति में लेआउट प्लान को प्रमाणित प्रति सम्पादकता के प्रस्ताव में उपलब्ध करायी जायेगी।

§7§- मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 के क्रम में प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या 591/2004-सोलह-1-5§डब्लू-48§/2003, दिनांक:20 फरवरी, 2004 के अनुसार गठित शुल्क निर्धारण समिति के समक्ष संस्था अपनी प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर प्रस्तुत करेगी तथा अन्य आवश्यक सुसंगत अभिलेख भी प्रस्तुत किये जायेगें। शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित फीस से अधिक शुल्क संस्था/महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जायेगा। यदि इस प्रकार निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क अथवा x किसी अन्य मद तथा डोनेशन के रूप में कोई भी संस्था लेती है तो यह माना जायेगा कि संस्था कैपिटेशन फीस ले रही है। ऐसी स्थिति में संस्था दण्डित की जायेगी और यह प्रदत्त की जाने वाली अनापत्ति स्वत: समाप्त हो जायेगी।

§8§- स्ववित्तपोषित संस्थाओं में मैनेजमेंट कोटे का निर्धारण मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक:14-8-2003 के क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित किया जायेगा। संस्था को यदि कोई आपत्ति होगी तो वह प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-592/2004-सोलह-1-5§डब्लू-48§/2003, दिनांक:20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित समिति के समक्ष अपना आवेदन करेगें। समिति का निर्णय अन्तिम होगा।

§9§- मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक 14-8-2003 के क्रम में मैनेजमेंट कोटा में प्रवेश मेरिट के आधार पर होगें तथा यह प्रक्रिया पूर्णतया पारदर्शी होगी। किसी छात्र/छात्राओं का मैनेजमेंट कोटा में महाविद्यालय में प्रवेश के पूर्व विश्वविद्यालय का अनुमोदन आवश्यक होगा। सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्त वर्णित मा0सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार संस्था द्वारा या तो सम्बन्धित विश्वविद्यालय द्वारा ली गयी परीक्षा के आधार पर या एसोसियेशन आफ कालेज के द्वारा ली गयी प्रवेश परीक्षा के आधार पर निर्धारित मेरिट के अनुसार मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश दिया जायेगा। यदि एसोसियेशन आफ कालेज द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाती है तो ऐसी परीक्षा की पारदर्शिता देखने तथा प्रस्तावित प्रश्नपत्र, पेपर सेटर, परीक्षा आदि की जानकारी प्राविधिक शिक्षा अनुभाग-1 के कार्यालय आदेश संख्या-592/2004-सोलह-1-5§डब्लू-48§/2003, दिनांक:20 फरवरी, 2004 द्वारा गठित समिति से की जायेगी। यह समिति ऐसी प्रवेश परीक्षा के पर्यवेक्षण के लिए अधिकृत होगी जिससे कि परीक्षा निष्पक्ष रूप से संचालित हो सके।

§10§- यदि यह पाया जाता है कि मैनेजमेंट कोटे में प्रवेश मा0सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या-350/1993 इस्लामिक एकेडमी आफ एजूकेशन एवं अन्य बनाम कर्नाटक राज्य में पारित आदेश दिनांक:14-8-2003 के

...3/-

द्वारा निर्धारित पारदर्शी तथा मेरिट के आधार पर नहीं की जाती है तो सम्बन्धित संस्था की अनापत्ति स्वतः निरस्त समझी जायेगी।

§11§- उक्त पाठ्यक्रम का संचालन अनापत्ति हेतु उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव में ग्राम बरेवाँ परगना हवेली तहसील चुनार जिला मीरजापुर की आ0न0-95/2 में उपलब्ध कुल भूमि रकबा 0.145 हेक्टेयर अर्थात 1450 वर्गमीटर पर ही किया जायेगा। अन्य भूखण्ड या स्थान पर पाठ्यक्रम के संचालन की स्थिति में यह अनापत्ति स्वतः निरस्त हो जायेगी।

§12§- सम्बद्धता की कार्यवाही के पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत भूमि मानकानुसार विधि महाविद्यालय के नाम राजस्व अभिलेखों में विधिवतः अंकित कर ली गयी है।

2- अनुरोध है कि कृपया अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

§ जगन्नाथ पाल §
संयुक्त सचिव

संख्या-2567 §1§/सत्तर-6-2006, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- सचिव, बार काउन्सिल आफ इण्डिया, 21, राउज एवेन्यू, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नई दिल्ली-।

2- प्रबन्धक, पुष्पा सिंह विधि महाविद्यालय, बरेवाँ §चुनार§ मीरजापुर।

3- निदेशक, उच्चशिक्षा, उत्तरप्रदेश, इलाहाबाद।

4- क्षेत्रीय उच्चशिक्षा अधिकारी, वाराणसी।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

§ जगन्नाथ पाल §
संयुक्त सचिव